न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 26/2020

GCMS No.2020/00051

1. भागली पुत्री स्व. गोपाल पत्नी दुलीचन्द जाति मेघवाल निवासी पपुरना हाल निवासी कांकड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
2. सरती पुत्री स्व. श्री गोपाल पत्नी अमीचन्द जाति मेघवाल उम्र 80 वर्ष निवासी पपुरना हाल आबाद बास किरारोद तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
3. श्रीमती कमला पत्नी स्व मुरारीलाल जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।
4. मिनाक्षी पुत्री स्व. मुरारीलाल मेघवाल उम्र 26 वर्ष
5. ज्योति पुत्री स्व. मुरारीलाल उम्र 23 वर्ष
6. मनोज पुत्र स्व. मुरारीलाल उम्र 19 वर्ष

   जाति मेघवाल निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

नोट :– वादी संख्या 1, 3 से 6 को प्रतिवादी पक्ष के रूप में पढ़ा गया है।

........वादीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. विजय कुमार पुत्र श्योनारायण उम्र 32 वर्ष
2. छाजूराम पुत्र श्योनारायण उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
3. कमला पुत्री श्योनारायण उम्र 35 वर्ष पत्नी सहीराम जाति मेघवाल
4. संतोष पुत्री श्योनारायण उम्र 40 वर्ष पत्नी हरिसिंह निवासी मान्डोला तहसील सतनाली जिला महेन्द्रगढ़ हरि.
5. सुगना देवी पत्नी श्री श्योनारायण उम्र 70 वर्ष जाति मेघवाल निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
6. उमरावली पुत्री स्व. गोपाल पत्नी बालाराम जाति मेघवाल निवासी कांकड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

–:निर्णय :– दिनांक 02–08–2024

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20–10–2023 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाद वादिया संख्या 2 स्वीकार कर वाके ग्राम पपुरना पटवार हल्का पपुरना तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 132 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 3953/1990, 4220/1956 कुल किता 07 कुल रकबा 0.77 हेक्टेयर में **केवल** वादिया संख्या 2 का 1/6 हिस्से की भूमि का रास्ता कायम करते हुये खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/2263 दिनांक 27.06.2024 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–06–2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–06–2023 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया सं. 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–06–2023 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया सं. 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–06–2023 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–06–2023 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/8/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ★ जिला– नीमकाथाना (राज.) ★

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान

भागली आदि

ब–ना–म

विजय कुमार आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **26 / 2020**

निर्णय दिनांक :– **02–08–2024**

वादिया संख्या 2 की ओर से **श्री सत्येन्द्र कुमार मान एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1, 2, 5 की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–08–2024** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादिया सं. 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–06–2023 प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–06–2023 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **02–08–2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

2/8/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)